File No. FIN/7/2023-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 50742)
/108/21/2023
/108/21/2023

संख्या– 108/ /XXVII(7)/E-50742/2023

प्रेषक,

डॉ0 एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ई–पोर्टल (uktenders.gov.in) के माध्यम से किये गये सभी प्रॅक्योरमेंट "Award of Contract (AoC)" की प्रति अनिवार्य रूप से ई–अधिप्राप्ति पोर्टल में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–50480/XXVII(7)/E-32614/2022 दिनांक 18 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों में निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर अनुबन्ध की प्रति (Award of Contract) अनिवार्य रूप से ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड कर उसे पूर्ण (Close) करने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। सरकारी अधिप्राप्ति (Public Procurement) में पारदर्शिता के दृष्टिगत यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, अधिकांश विभागों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नही है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ सभी (विभागों/कार्यालयों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों) विभागाध्यक्षों को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं आगामी 10 दिनों के भीतर लम्बित अनुबन्धों की प्रतियों (Award of Contract) को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 22-03-2023 19:16:26

भवदीय

(डॉ. एस.एस.संधु)
मुख्य सचिव।